

पूंजी नियमन बासल III के अंतर्गत प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासल III, पूंजी नियमन पर जारी मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015 के अनुसार बैंकों के लिए बासल III, पूंजी अपेक्षाओं के तहत पिलर III प्रकटन करना आवश्यक है. बैंक द्वारा ये प्रकटन किए गए हैं, जो बैंक की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

<https://www.unionbankofindia.co.in/english/basel-disclosures-iii.aspx>

बैंक परिपत्र

नोटिस

सांविधिक रिपोर्ट

वित्तीय विवरणियां